न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 27/22

GCMS NO 2022/62

कैलाश चन्द पुत्र मूलचंद खटीक निवासी बपूई तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र लालूराम जाति खटीक निवासी बपूई तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर
3. प्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा बपूई तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर राजस्थान सत्यमेव जयते

(अपील विरूद्व मु0नं0 4/19 निर्णय दिनांक 18.4.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री उमाशंकर शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही

दिनांक 21.04.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.4.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बपूई की आराजी ख0न0 1081/1 रकबा 5 बीघा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। सेटलमेंट के दौरान हाल ख0न0 1595 रकबा 0.72 है0 एवं 1859 रकबा 0.56 है0 कुल रकबा 1.27 है0 कायम किये गये। प्रार्थी को सन 1989 मे साबिक ख0न0 1081/1 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जो एक चक थी। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059 के खाता मे अंकित ख0न0 1081/1 रकबा 5 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार था। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 भी 5 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार था। हाल खसरा न0 1595 पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा आज भी अप्रार्थी संख्या 2 उसी जगह काबिज काश्त है। कुछ समय पूर्व ग्राम बपूई मे सेटलमेंट आपरेशन हुआ जिसमे साबिक ख0न0 1081/1 के हाल ख0न0 1595, 1859 व 1558 कायम किये गये। जिसमे से खसरा न0 1858 रकबा 1.26 है0 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई जो सेटलमेंट विभाग के अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने अप्रार्थी संख्या 2 से साज कर प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने की गरज से की गई। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। हाल सेटलमेंट [illegible] की जॉच किये गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि साबिक ख0न0 1081/1 रकबा 5 बीघा के नये खसरा न0 1595 रकबा 0.7200 है0 , 1859 रकबा 0.5500 है0 कायम [illegible] हुए उक्त साबिक ख0न0 के दो टुकडे करते हुए अलग अलग जगह खातेदारी दर्ज कर दी। वहीं पर हाल ख0न0 1559 रकबा 0.55

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(2)

है0 का कोई विवाद नही है। विवाद ख0न0 1595 रकबा 0.7200 है0 भूमि बाबत है। साबिक ख0न0 1081/1 काफी बडा रकबा था जिसमे से कई खातेदारो का भूमि आवंटित हुई थी तथा उसी ख0न0 मे प्रार्थी को भी भूमि आवंटित हुई थी तथा प्रतिवादी को भी भूमि आवंटित हुई थी तथा विधिवत कब्जा संभलाया गया था। उसी अनुसार प्रार्थी आज अपनी भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी जमाबंदी सम्वत 2056 से 2059 ग्राम बपूई के खाता मे अंकित ख0न0 1081/1 रकबा 5 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार था तथा उसी जगह प्रार्थी काबिज काश्त है। सेटलमेंट अधिकारियो ने अप्रार्थी संख्या 2 से साज कर जिस जगह प्रार्थी का कब्जा है उस भूमि को जो अपने खातेदारी मे दर्ज करवा लिया तथा जिस जगह प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा उस भूमि को प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज करवा दिया जो केवल प्रार्थी को नुकसान कारित करने हेतु किया गया है। जबकि प्रार्थी सदैव से एक ही स्थान पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस मे भी प्रार्थी को काबिज काश्त उसी जगह दर्शाया गया है। किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि दर्ज कर दी। जो गलत दर्ज की गई है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 रोजाना प्रार्थी को धमकी देता है कि उक्त भूमि को खाली करवा लूगा। तथा भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देता है। इस प्रकार प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि हाल ख0न0 1595 रकबा 0.7200 है0 भूमि प्रार्थी अपनी खातेदारी मे से हटवाकर हाल ख0न0 1858 रकबा 1.2600 है0 मे से 07200 है0 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी मे से कम करते हुए प्रार्थी अपनी खातेदारी मे दर्ज करावे तथा प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज खसरा न0 1595 रकबा 0.7200 है0 भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज करवाकर इन्द्राज दुरूती करावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा अप्रार्थीगण ग्राम बपूई के ख0न0 1858 रकबा 1.2600 है0 भूमि को रहन बेचान नही या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे तथा प्रार्थी के उक्त भूमि के कब्जे काश्त मे बाधा कारित नही करे। प्रार्थी को भूमि से बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बाबजूद तामिल रेस्पो0 के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल व कानून के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अपीलाट भूमि ख0न0 1858 रकबा 1.26 है0 का रिकार्डेड [illegible] है। जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करके अधिनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है। [illegible] ने रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति का गलत आदेश दिया है जो निरस्त योग्य है। [illegible] मातहत ने रेस्पो0 संख्या 1 का आवंटन आदेश व मौका रिपोर्ट पेश नही होने पर यथावत रिपोर्ट का आदेश देकर अहम भूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2025.10.10 13:47:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की है। अदालत मातहत ने 52 टी पी एक्ट की धारा को समझने मे भूल की है। अदालत मातहत ने प्राईमाफेसी केस,बैलेन्स ऑफ कन्विनिन्सीयस व अपूर्णनीय क्षति का कोई विवेचन नही किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अपीलांट अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पो/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अभिकथन किया कि सेटलमेंट के द्वारा दौराने सेटलमेंट ग्राम बपूई की आराजी ख0न0 1081/1 रकबा 5 बीघा के नवीन ख0न0 1595 रकबा 0.72 है0 व 1859 रकबा 0.55 है0 कायम किये है। साबिक ख0न 1081/1 के सेटलमेंट द्वारा हाल ख0न0 1595,1859 एवं 1858 कायम किये जाकर ख0न0 1858 को अपीलांट के नाम दर्ज किया गया है। इसी प्रकार प्रार्थी/रेस्पो0 का अधिनस्थ न्यायालय मे कथन रहा कि सेटलमेट द्वारा गलत रूप से हाल ख0न0 1858 की खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय मे विचरीत प्रार्थना पत्र के प्रथम बिन्दु प्राईमाफेसी केस मे आराजी ख0न0 1858 रकबा 1.26 है0 की खातेदारी अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना माना है। जो जमाबंदी सम्वत 2069–72 के अवलोकन से भी स्पष्ट है। इस प्रकार अपीलांट के पक्ष मे प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। यदि अपीलांट को आराजी ख0न0 1858 के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो उसे अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। रेस्पो/प्रार्थी द्वारा आराजी ख0न0 1858 की खातेदारी अपने नाम कराने का दावा करता है जिसका निर्धारण दावे साक्ष्य सबूत के पश्चात तय किया जावेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.4.22 मे गलत रूप से वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज आराजी ख0न0 1858 रकबा 1.26 है0 के खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है जो विधि के सिद्वान्त के बिपरीत होने से अपास्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के मुकदमा 4/19 मे पारित निर्णय दिनांक 18.4.22 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:48 IST
Reason: SelfAttested